न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 84 / 2022

1 छोटी देवी पत्नी खींवाराम जाति जाट निवासी रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लालचन्द पुत्र सुखदेवा जाति जाट निवासी रोरू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्व वाद संख्या 125 / 2022 उनवानी लालचन्द बनाम छोटी देवी आदि दिनांकित 05.07.2022

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 31-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2022 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 लालचन्द द्वारा भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके ग्राम रारू बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ के सन्दर्भ में दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये वकालतन उपस्थित होकर जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.07.2022 को वादी के वकील सत्यवीर के आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित कर काउन्टर क्लेम स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने पर कोई आपत्ति नही होना अंकित करने पर विचाराधीन विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है किन्तु इस निर्णय से पूर्व अपीलांट को सुना नही गया है। शेष पक्षकारान की तामील पूर्ण नही करवाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम के सन्दर्भ में खसरा नम्बर 764 की पश्चिमी सीमा में स्थित डोटेड लाईन को हटाने का कोई आदेश पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था। काउन्टर क्लेम के सन्दर्भ में वादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर काउन्टर क्लेम स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने पर सहमती दी है। ऐसी स्थिति में तनकी व साक्ष्य की आवश्यकता नही है। अपीलांट द्वारा आक्षेपित रास्ता रेस्पोडेंट के रकबे में है। अपीलांट के रकबे में नही है। अपील का कोई आधार नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था। काउन्टर क्लेम के सन्दर्भ में वादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर काउन्टर क्लेम स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने पर सहमती दी है। ऐसी स्थिति में तनकी व साक्ष्य की आवश्यकता नही है। अपील स्तर पर भी अपीलांट द्वारा आक्षेपित रास्ता रेस्पोडेंट द्वारा स्वंय के रकबे में होना स्वीकार किया है। अपीलांट के रकबे में नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर